न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55 / 2019 प्रा.पत्र / 2019	01.08.2019	14.08.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन साल जाति महाजन निवासी दरवाजे के पास वार्ड नं. 5, ककोड तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेश किराणा स्टोर दरवाजे के पास ककोड तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

2–मैसर्स नरेश किराणा स्टोर दरवाजे के पास ककोड तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

3–श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री पदम कुमार जैन निवासी न्यू बस स्टैण्ड नैनवां जिला बून्दी प्रोपरायटर मैसर्स लोकेश एन्टरप्राईजेज उनियारा रोड नैनवां जिला बून्दी राज.। पिनकोड–323801

4–मैसर्स लोकेश एन्टरप्राईजेज उनियारा रोड नैनवां जिला बून्दी राज.। पिनकोड–323801

5–श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.। पिनकोड–323613

6–मैसर्स दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.। पिनकोड–323613

7–श्री हिमांशु शर्मा नॉमिनी मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं. 1 व 2, रीको एग्रो फूड पार्क फेस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज.। पिनकोड– 325003 / रजि. ऑफिस–343 / ए, तलवण्डी कोटा राज.। पिनकोड–324005

8–मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं. 1 व 2, रीको एग्रो फूड पार्क फेस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज.। पिनकोड– 325003 / रजि. ऑफिस–343 / ए, तलवण्डी कोटा राज.। पिनकोड–324005

...........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डननीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री रमेश शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 14/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.03.2019 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स नरेश किराणा स्टोर दरवाजे के पास ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स नरेश किराणा स्टोर दरवाजे के पास ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय तथा पूछने पर श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन ने स्वयं को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु गुड, घी, अलग–अलग ब्राण्ड, शक्कर, तेल आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के एक कार्टून में लगभग 15 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 32 एवं पैकिंग की दिनांक फरवरी 2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर के चार मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** 1–1 लीटर के चार मूल पैक को अलग–अलग ज्यों का त्यों लेकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2148 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2148 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेश किराणा स्टोर दरवाजे के पास ककोड तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स लोकेश एन्टरप्राईजेज उनियारा रोड नैनवां जिला बून्दी राज. का वारन्टी बिल पेश किया। मैसर्स लोकेश एन्टरप्राईजेज ने मैसर्स दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी का एवं मैसर्स दक्ष ट्रेडिंग कम्पनी ने मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं. 1 व 2, रीको एग्रो

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फूड पार्क फेस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज. का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 19 / 1021 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस / 874 / एक्ट / 2019 / 605 दिनांक 10.04..2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री रमेश शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से कय किया था अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 25,000 / – (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक